



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 161 राँची, सोमवार, 9 चैत्र, 1948 (श०)
30 मार्च, 2026 (ई०)

वित्त विभाग

अधिसूचना

19 मार्च, 2026

संख्या:-वित्त-36-Proc. Man.-01/2024-972वि°--

विषय-राज्य सरकार के विभिन्न विभाग (कार्य विभाग सहित) निदेशालय, बोर्ड / निगम, सोसायटी/निकाय इत्यादि द्वारा किये जाने वाले एकरारनामा / कार्यदिश / आपूर्तिआदेश/Standard Bidding Document/F2 Tender Document में e-Bank Guarantee के रूप में प्रतिभूति (Performance Security) प्राप्त करने तथा Dispute Resolution संबंधी प्रावधान अन्तर्वेशित करने तथा 'Jharkhand Procurement of Goods and Services Manual' को एतदर्थ संशोधित करने के संबंध में।

राज्य सरकार के लगभग सभी विभागों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की सामग्रियों एवं सेवाओं का अधिप्रापण किया जाता है। साथ ही विशेष कर कार्य विभागों द्वारा निर्माण-कार्यों आदि से संबंधित कार्यदिश निर्गत किया जाता है। उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए झारखण्ड राज्य अथवा राज्य के बाहर के आपूर्तिकर्ताओं/सेवाप्रदाताओं तथा संवेदकों के साथ किये जाने वाले एकरारनामा में बहुधा Arbitration and Conciliation Act, 1996 (यथा संशोधित) के अंतर्गत विवादों के समाधान संबंधी प्रावधानों का समावेश किया जाता है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा एकरारनामा/कार्यावंटन/आपूर्ति आदेश निर्गत करने के पूर्व सफल निविदादाताओं से प्रतिभूति (Performance Security) भी प्राप्त की जाती है। उपर्युक्त बिन्दुओं पर दिनांक 13.10.2025 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न विभिन्न विभागों के सचिव स्तरीय बैठक में विमर्श के दौरान कतिपय प्रक्रियात्मक संशोधन की आवश्यकता महसूस की गयी।

2. सरकार के संज्ञान में ऐसे कई मामले आये हैं जिसमें सरकार का पक्ष सही तरीके से नहीं रखे जाने के कारण Arbitration का Award राज्य सरकार के पक्ष में नहीं हो पाता है। इसके पीछे Arbitration and Conciliation Act, 1996 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के प्रति संबंधित पदाधिकारी के समुचित जानकारी का अभाव, Place of Arbitration का राँची से अन्यत्र होने, मामले के ससमय संज्ञान में नहीं आने जैसे कई कारण हैं। राज्य सरकार को Adverse Arbitral Awards के कारण आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। Place of Arbitration के राँची से अन्यत्र होने की स्थिति में पदाधिकारियों के यात्रा-भत्ता आदि में भी बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को Arbitrator Fee के रूप में भी अत्यधिक व्यय करना पड़ता है।

3. Arbitration and Conciliation Act, 1996 (यथा संशोधित) में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में Arbitrator द्वारा राज्य सरकार के विरुद्ध Exorbitant Punitive Rate of Interest अधिरोपित किया गया है। कई मामलों में 18 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि तक की दर पर ब्याज अधिरोपित किया गया है। ऐसे कतिपय दृष्टांत संज्ञान में आये हैं जिनमें मूलधन से कई गुना अधिक ब्याज का भुगतान राज्य सरकार को करना पड़ा है।

4. इसके विपरीत राज्यान्तर्गत सिविल न्यायालयों में राज्य सरकार का पक्ष रखा जाना अपेक्षाकृत सरल एवं कम खर्चीला है। राज्य के सभी जिलों में Civil Courts गठित हैं जिससे राज्य सरकार का पक्ष रखने में न केवल लोक-धन की बल्कि सरकार के बहुमूल्य समय की भी बचत होगी। Civil Suits का पर्यवेक्षण भी विभिन्न विभागों/कार्यालय स्तर से किया जाना आसान है।

5. निष्कर्षतः Arbitration and Conciliation Act, 1996 (यथा संशोधित) के बजाय Civil Suits के माध्यम से मामलों का निष्पादन तुलनात्मक रूप से राज्यहित के अधिक उपयुक्त है। अतः आपूर्तिकर्ताओं/सेवाप्रदाताओं/संवेदकों आदि के साथ किये जाने वाले एकरारनामा/Standard Bidding Document/F2 Tender Agreement में Dispute Resolution के निमित्त यह शर्त सामान्यतः जोड़ी जानी चाहिए-

“Disputes arising out of this contract shall be subject to jurisdiction of Courts located within state of Jharkhand only.”

6. अपवादिक मामले जिनमें सरकार द्वारा किये जा रहे एकरारनामे में Arbitration Clause रखने की अपरिहार्यता हो, (यथा-World Bank, Asian Development Bank, International Fund for Agricultural Development आदि द्वारा Externally Funded Projects, भारत सरकार के दिशा-निर्देश अथवा अन्य राज्य/देश की सरकार के साथ किये जाने वाले एकरारनामे आदि) वहाँ एकरारनामा में यह शर्त यथा संभव शामिल की जानी चाहिए जिस भी पक्ष राज्य सरकार द्वारा तैयार पैनल से Arbitrator नामित करने हेतु सहमत हैं। साथ ही राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे एकरारनामा में Place of Arbitration के लिए झारखण्ड राज्य के अंतर्गतस्थित स्थान को प्राथमिकता दी जाय।

7. विधि विभाग द्वारा एतदर्थ राज्य में वरीय पदाधिकारियों का Panel तैयार किया जायेगा जो राज्य सरकार से संबंधित मामलों में Arbitrators की भूमिका निभायेंगे। निष्पक्षता के दृष्टिकोण से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस विभाग द्वारा एकरारनामा किया गया है, उस विभाग के Empanelled पदाधिकारी उस मामले विशेष के लिए Arbitrator नामित नहीं किये जा सकेंगे।

8. यह आवश्यक है कि राज्य सरकार द्वारा प्रतिभूति (Performance Security Deposit) के रूप में ली जाने वाली Bank Guarantee को Electronic Form में अर्थात् e-Bank Guarantee के रूप में स्वीकार किया जाय।

9. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा वस्तुओं एवं सामग्रियों के अधिप्राप्ति को विनियमित करने हेतु वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या 2315 दिनांक 04.10.2024 द्वारा अधिसूचित 'Jharkhand Procurement of Goods and Services Manual' को निम्नवत संशोधित करने का प्रस्ताव है-

(A) 'Jharkhand Procurement of Goods and Services Manual' के 'Chapter-IV Open Competitive Bid Process Management' की कंडिका 6.28.2 को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है-

“6.28.2 Performance security shall be furnished by the successful bidder in the electronic form i.e. as e-Bank Guarantee from only those banks which are empanelled by Department of Finance, Government of Jharkhand for handling government business and taking deposits from state government organisations. The procuring entity shall verify the e-BG from online platform as prescribed by the Department of Finance before signing of the agreement.”

(B) 'Jharkhand Procurement of Goods and Services Manual' के 'Chapter-V Supplier Relations Management' में कंडिका 9.3 निम्नवत अंतःस्थापित की जाती है-

“9.3 Dispute Resolution

9.3.1 Disputes arising out of application of the provisions of this manual shall be subject to jurisdiction of Courts located within state of Jharkhand only. For a contract in which dispute resolution under Arbitration & Conciliation Act, 1996 (as amended) has been necessitated, a clause may preferably be inserted in the contract that all the parties to the contract agree to nominate an arbitrator from the panel of arbitrators prepared by the Government of Jharkhand. In such cases place for arbitration proceedings will preferably be located within state of Jharkhand. Department of Law, Government of Jharkhand shall notify a panel of arbitrators comprising of senior officers serving under Government of Jharkhand. An officer serving in the department which is party to an arbitration proceeding, shall not be nominated as an arbitrator in that particular arbitration proceeding.

10. सभी कार्य विभागों द्वारा Electronic Bank Guarantee के रूप में Performance Security प्राप्त करने तथा उपर्युक्त वर्णित रीति से 'Dispute Resolution' संबंधी प्रावधान का समावेश विभागीय 'F2 Tender/Standard Bidding Document' में भी किया जायेगा।

11. उपर्युक्त विषयक वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 644/वि०, दिनांक 24.02.2026 में निहित प्रस्ताव पर दिनांक 12.03.2026 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-14 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रशांत कुमार),
सरकार के सचिव
